झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संचिका संख्या–4 / स0भू0 (स0ख0)–94 / 2023.....1621 / रा0, राँची, दिनांक–07-06-2024

राज्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो0–डोरण्डा, राँची।

विषयः– मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–16.03.2024 में मद संख्या–03 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में सरायकेला–खरसावाँ के राजनगर अंचल अन्तर्गत मौजा–कुजू, थाना सं0–413 के खाता सं0–213, खेसरा सं0–740 / अंश कुल रकबा–5.33 एकड़ किस्म–पुरानी परती औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स रूंगटा माईंस लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में।

आदेशः– **स्वीकृत।**

i. राज्यादेश निर्गत होने के उपरान्त अधियाची (भारत सरकार / झारखण्ड सरकार / किसी अन्य राज्य सरकार की संस्था और उपक्रम को छोड़कर) द्वारा यदि 60 माह (5 वर्ष) के अन्दर प्रसंगाधीन प्रयोजन हेतु अपना कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त द्वारा अधियाची को शर्त के उल्लंघन से संबंधित नोटिस निर्गत करने हेतु निदेशित किया जायेगा तथा उत्तर संतोषजनक पाये जाने पर कार्य पूर्ण करने हेतु अधिकतम 2 वर्षों तक का समय दिया जायेगा। विस्तारित अवधि में भी कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरान्त राज्यादेश रद्द कर जिला प्रशासन द्वारा संबंधित भूमि को कब्जे में लिया जायेगा। प्रसंगाधीन भूमि पर अवस्थित संरचना इत्यादि को भी जब्त कर लिया जायेगा, जिसका Transferee को कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

ii. अधियाची को जिस प्रयोजन हेतु सरकारी भूमि की लीज बंदोबस्ती की गयी है, यदि उस प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन हेतु आवंटित भूमि का उपयोग किया जाता है, तो सामान्यतः मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त राज्यादेश रद्द कर प्रश्नगत भूमि को संबंधित उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार के कब्जे में लिया जायेगा।

iii. उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।

iv. यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय कंपनी से राशि प्राप्त कर ली जायेगी।

v. प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी। उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची संस्था द्वारा भुगतेय होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।

vi. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क अधियाची संस्था द्वारा देय होगा।

vii. यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अधियाची संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

viii. अन्य सभी शर्तें विभागीय अधिसूचना संख्या–3842/रा0, दिनांक–24.11.2023 तथा खासमहाल इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अंजनी कुमार मिश्रा)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–4/स0भू0 (स0ख0)–94/2023.....1681...../रा0 राँची, दिनांक–07-06-2024

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

II. विषय से संबंधित अभिलेख संख्या–01/2022–23 मूल रूप में संलग्न कर वापस किया जाता है।

अनु0–यथोक्त।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–4/स0भू0 (स0ख0)–94/2023.....1681...../रा0 राँची, दिनांक–07-06-2024

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा को उनके पत्रांक–791, दिनांक–19.06.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. प्राधिकृत पदाधिकारी, मे0 रूंग्टा माईन्स लिमिटेड, चालियामा स्टील प्लान्ट, रूंग्टा चेम्बर्स, चाईबासा–833201 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड/माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) एवं प्रशाखा–4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/6/24

सरकार के विशेष सचिव